

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

17 ¹/₂₃

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित हुए। पत्रावली में न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2023/54 दिनांक 10.01.2023 द्वारा पेश किए जा चुके हैं। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस कुर्रैजात प्रस्ताव सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए कथन किया गया कि कुर्रैजात प्रस्ताव मौके अनुसार ही है एवं कुर्रैजात रिपोर्ट में उभयपक्षों को रास्ते पर भी समान रूप से भूमि दी गई है। वकील प्रतिवादी द्वारा कथन किया गया कि कुर्रैजात प्रस्ताव सही नहीं है, इसलिए कुर्रैजात प्रस्ताव खारिज किए जाकर पुनः कुर्रैजात प्रस्ताव मंगवाए जाएं। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध कुर्रैजात प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से कुर्रैजात प्रस्ताव सही होना जाहिर होता है।

अतः वाके रामा पांचोली तह0 सिकराय जिला दौसा की भूमि ख0न0 260 एवं 999/63 के तकास्मा हेतु तहसीलदार सिकराय द्वारा उक्त पत्रांक द्वारा पेश कुर्रैजात प्रस्ताव स्वीकार कर दावा वादी मुताबिक कुर्रैजात प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है-1. खसरा नम्बर 999/63/1 एवं ख0न0 260/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.4350 है0 में पुखराज पुत्र रामसहाय हि0 1/3 बिलारहन, प्रहलाद पुत्र रामसहाय हि0 1/3 बिलारहन, हेमराज पुत्र पदमसिंह हि0 1/3 राहीन पी0एन0बी0 शाखा सिकराय मुर्त समस्त जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार एवं खसरा नम्बर 999/63/2 एवं ख0न0 260/2 में ओमप्रकाश पुत्र मीठालाल हि0 1/3, अंबूसिंह पुत्र मीठालाल हि0 1/3 महेन्द्र पुत्र हरीसिंह हि0 1/9 सुरेन्द्र पत्र हरीसिंह हि0 1/9 समोत्रा पत्नि स्व0 हरीसिंह हि0 1/9 समस्त जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार होंगे। कुर्रैजात प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार सिकराय को निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर इस न्यायालय की मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)

